

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गुण्डा एक्ट मु.सं. 19/2025

तारिख
हुक्म

16-1-2026

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल राज कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति- बजानिया, निवासी- टेलीफोन कॉलोनी, मानपुर, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला- सिरौही उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आरोप स्वीकार कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को सिरौही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल ने अनुरोध किया कि वह मजदूरी करके शान्तिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे।

हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल राज कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति- बजानिया, निवासी- टेलीफोन कॉलोनी, मानपुर, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला- सिरौही के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड़ शहर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 113 दिनांक 19-4-2025, 129 दिनांक 02-5-2025 व अपराध संख्या 143 दिनांक 13-5-2025 को दर्ज हुये। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत दर्ज उक्त मुकदमों में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 21-4-2025, 17-5-2025 व 17-5-2025 के द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। जिनमें से उक्त अपराध संख्या 129 दिनांक 02-5-2025 व 143 दिनांक 13-5-2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उक्त अपराध संख्या 129 दिनांक 02-5-2025 व 143 दिनांक 13-5-2025 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 17-5-2025 व 17-5-2025 की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि गैरसायल जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 13-5-2025 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल राज कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति- बजानिया, निवासी- टेलीफोन कॉलोनी, मानपुर, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला- सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 02 (दो) माह की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर से निष्कासित किया जाता है। उक्त निष्कासन अवधि, दिनांक 17-01-2026 से दो माह तक रहेगी। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में प्रत्येक बुधवार को पुलिस थाना, रेवदर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र व इसी कदर राशि का प्रतिभू पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र व प्रतिभू पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर / रेवदर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)

डा. विना बचिस्के
सिरौही-307001.



राजेश कुमार
रेवदर
D. Goyal